भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2549
जिसका उत्तर बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित मामले

+2549. श्री धर्मवीर सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या कितनी है और गत 15 वर्षों से लंबित मामलों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या विधिक मामलों के लंबित रहने से हरियाणा के लोग न्याय से वंचित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान हरियाणा में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ;

(ङ) क्या न्यायालयों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड पर उपलब्ध डाटा के अनुसार तारीख 29.11.2019 की स्थिति के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या 5,15,498 है । 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड पर उपलब्ध नहीं है । तथापि, तारीख 29.11.2019 की स्थिति के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से अधिक और 20 वर्ष तक लंबित मामलों की कुल संख्या 72,895 है ।

(ख) और (ग) : न्यायालयोँ में मामलोँ का निपटारा न्यायापालिका के अधिकाक्षेत्र में है। न्यायालयों में मामलों का समय से निपटान बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या, सहायक न्यायालय कर्मचारीवृंद और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात बार, जांच अभिकरणों, गवाहों और वादकारियों का समनव्य तथा नियमों और प्रकियाओं को समुचित रुप से लागू किया जाना भी सम्मिलित है ।

तथापि, संघ सरकार संविधान के अनुच्छेद 39क के अधीन आदेश के अनुरूप न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए मामलों के त्वरित निपटारे तथा मामलों के लंबन में कमी के लिए प्रतिबद्ध है । संघ सरकार द्वारा वर्ष 2011 में गठित राष्ट्रीय न्यायिक परिदान और विधिक सुधार मिशन ने कई रणनीतिक पहल की है, जिनके अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना (न्यायालय हाल और आवासीय इकाईयाँ) में सुधार करना, बेहतर न्याय के परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन, उच्च न्यायालयों तथा

उच्चतम न्यायालय में रिक्त पदों को भरना, बकाया समिति द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से जिला, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के स्तर पर, लंबित मामलो में कमी, अनुकल्पी विवाद समाधान (ए डी आर) पर जोर तथा विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल करना भी शामिल है।

(घ) : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा राज्यों तथा चड़ीगढ संघ राज्य क्षेत्र का एक संयुक्त उच्च न्यायालय है। विगत तीन वर्ष के दौरान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों का वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए है:-

वर्ष	2017 (तारीख 01.01.2017 की स्थिति के अनुसार)	2018 (तारीख 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार)	2019 (तारीख 27.11.2019 की स्थिति के अनुसार)
कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या	47	50	56

(ङ) : जिला और अधीनस्थ न्यायालय राज्य सरकार द्वारा संबद्ध उच्च न्यायालय के परामर्श से स्थापित किए जाते हैं।

(च) : उपरोक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

****